



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13022021-225133
CG-DL-W-13022021-225133

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 13—फरवरी 19, 2021 (माघ 24, 1942)
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 13—FEBRUARY 19, 2021 (MAGHA 24, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	187	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	151	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	231	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	251
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	85
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	287
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम और अधिसूचनाएं.....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	187	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	151	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	231	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	251
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	85
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	287
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2021

शुद्धि-पत्र

सं. 60-प्रेज/2021—जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार से संबंधित, इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 03-प्रेसिडेंट/2020 दिनांक 26.01. 2020, जो भारत के राजपत्र के भाग १ खंड १ में दिनांक 14.03. 2020 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

कुमारी प्रमोद बालासाहेब देवधे महाराष्ट्र,

के स्थान पर

कुमारी दिव्या सोमनाथ खले, महाराष्ट्र

पढ़ा जाये

जगन्नाथ श्रीनिवासन
विशेष कार्य अधिकारी

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2021

सं. 8-135/2020-पीपी II.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26.11.1993 की अधिसूचना संख्या 8-97/91-पीपी.I में आंशिक संशोधन करते हुए, यह सामान्य सूचना के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संगत शीर्षों के तहत निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़कर या प्रतिस्थापित करके शामिल की जाएंगी जिनमें उन अधिकारियों को पदनाम से विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो अन्य देशों जिन्हें ऐसे प्रमाणपत्र अपेक्षित हैं, को निर्यात के लिए वनस्पति और वनस्पति सामग्री के निरीक्षण, प्रधूमन या विसंक्रमित करने और पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं:—

II राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:
केरल

(ii) सहायक निदेशक (कृषि),
कृषि विभाग,
थालास्सेरी, कन्नूर
(केरल)
{कोड नंबर 'एस' (केईआर) 2}

अतीश चंद्रा
संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की दिनांक 26.11.1993 की अधिसूचना सं.-8-97/91-पीपी-I द्वारा जारी की गई थी और तत्पश्चात दिनांक 25.11.97 की अधिसूचना सं.-8-97/91-पीपी-I, दिनांक 30.09.1999 की अधिसूचना सं.-8-70/98-पीपी-I, दिनांक 06.11.2001 की अधिसूचना सं.-8-86/2000-पीपी-I, दिनांक 06.05.2002 की अधिसूचना सं.-8-86/2000-पीपी-I, दिनांक 30.05.2002 की अधिसूचना सं.-8-86/2000-पीपी-I, दिनांक 07.06.2004 की अधिसूचना सं.-8-33/2003-पीपी-I, दिनांक 11.05.2005 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 20.06.2005 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 08.12.2005 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 09.01.2006 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 26.12.2011 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 30.01.2013 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 06.07.2015 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 21.06.2016 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 12.01.2017 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट) और दिनांक 13.04.2017 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II और 11.08.2017 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II और 14 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II, दिनांक 10.04.2018 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II, दिनांक 10.5.2019 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II और दिनांक 16.7.2019 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II, 10.12.2019 की अधिसूचना संख्या 8-65/2017-पीपी-II और दिनांक 21 फरवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 8-65/2017-पीपी-II और दिनांक 13.8.2020 की अधिसूचना संख्या 8-135/2020-पीपी-II द्वारा संशोधित की गई थी।

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2021

सं. 11/7/2018-यू3(ए)—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी केंद्र को समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान का ऑफ-कैंपस केंद्र घोषित करने का अधिकार है।

2. और जबकि, केंद्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी अधिसूचना संख्या 11-9/2019-यू.3(ए)पार्ट, दिनांक 14.10.2020 के द्वारा, यूजीसी की सलाह पर, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी को समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान घोषित किया था।

3. और जबकि, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान), पिलानी, राजस्थान ने दिनांक 04.01.2021 को ऑफलाइन माध्यम से मुंबई महानगर क्षेत्र, महाराष्ट्र में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

4. और जबकि, उक्त आवेदन को यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 और यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) (संशोधन) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार जांच करने एवं सलाह देने के उद्देश्य से गठित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) को सौंपने के लिए यूजीसी को अग्रप्रेषित किया गया था। ईईसी ने संस्थान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इसका मूल्यांकन किया और यूजीसी को अपनी सिफारिशें भेजीं।

5. और जबकि, ईईसी की सिफारिशों को यूजीसी के अध्यक्ष ने यू जी सी (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) (संशोधन) विनियम, 2021 के द्वारा अंतःस्थापित यू जी सी (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 के खंड 11.7.4 के अनुसरण में अनुमोदित कर दिया गया था और आयोग की ओर से सलाह को दिनांक 18.01.2021 के पत्र संख्या 1-6/2019 (आईओई) के द्वारा मंत्रालय को भेजा दिया गया था।

6. अतः, अब, केंद्र सरकार, ईईसी की सिफारिशों और यू जी सी की सलाह को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान), पिलानी, राजस्थान को मुंबई महानगर क्षेत्र, महाराष्ट्र में बिट्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (बीआईटीएसओएम) के नाम से एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने की अनुमति देती है।

7. इस अधिसूचना के पैरा 6 में की गई घोषणा पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर, ऑफ-कैंपस केंद्र द्वारा, यू जी सी (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 और यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) (संशोधन) विनियम, 2021 और इस मंत्रालय, यूजीसी और किसी अन्य सांविधिक निकाय, जैसा भी मामला हो, द्वारा समय-समय पर जारी किसी अन्य प्रासंगिक अधिसूचना, नियम, विनियम एवं निर्देश में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन/पूरा करने के अध्वधीन होगी:

- (i) शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 से अधिक नहीं होगा अथवा सम्बंधित व्यावसायिक नियामक परिषद (परिषदों) की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। पाँच वर्षों के अंत में शिक्षक छात्र का अनुपात 1:10 होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए संकाय में नियमित शिक्षक, सहायक शिक्षक, विदेशी शिक्षक, अतिथि शिक्षक, संविदा शिक्षक, उद्योग शिक्षक और पूर्णकालिक सीमित

अवधि शिक्षक (Tenure Track Faculty), अथवा सम्बंधित व्यावसायिक नियामक परिषद (परिषदों) द्वारा अन्यथा अनुमति प्रदान किये गए संकाय रूप में शामिल होंगे। हालाँकि कम से कम 60% शिक्षकों को को स्थायी/नियमित आधार पर नियुक्त होना चाहिए।

- (ii) एक तिहाई स्नातकोत्तर/अनुसंधान छात्रों के साथ नियमित शिक्षा पद्धति के अंतर्गत न्यूनतम 500 छात्र पंजीकृत।
- (iii) 5 स्नातकोत्तर कार्यक्रम।
- (iv) अनुसंधान कार्यक्रम।
- (v) प्रति छात्र निर्मित क्षेत्र 30 वर्ग मीटर से कम न हो जिसमें अकादमिक (अकादमिक भवन, पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएं, आदि), प्रशासनिक (छात्रावास, संकाय निवास, स्वास्थ्य देखभाल), सामान्य और मनोरंजक सुविधाएँ शामिल होंगी। तथापि, कार्यक्रम आरंभ करने के समय, प्रस्तावित ऑफ-कैंपस सेंटर (सेंटर्स) में अकादमिक और भौतिक अवसंरचना/यूजीसी/सम्बंधित व्यावसायिक नियामक परिषद (परिषदों) द्वारा निर्धारित मानदंडों/मानकों के अनुसार होनी चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम के लिए, जहाँ भी आवश्यक हो, सम्बंधित व्यावसायिक नियामक परिषद (परिषदों) का अनुमोदन होना चाहिए।
- (vi) समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि ऑफ-कैंपस सेंटर के मानदंड और मानक वही होंगे जैसा कि इस तरह के पाठ्यक्रमों के लिए मुख्य परिसर में चालू हैं, और ऑफ-कैंपस सेंटर समान प्रवेश मानदंड, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली का भी पालन करेगा। ऑफ-कैंपस सेंटर के बारे में सारी सूचना समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान की वेबसाइट पर बताई जाएगी।
- (vii) समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान को अंतरिम परिसर में इस शर्त पर ऑफ-कैंपस सेंटर आरंभ करने की अनुमति होगी कि स्थायी परिसर उचित समय अवधि के भीतर तैयार हो जायेगा जो पाँच वर्षों से अधिक नहीं हो।
- (viii) समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑफ-कैंपस सेंटर आरंभ होने के 10 वर्षों के अंत तक, ऑफ-कैंपस सेंटर 3 संकायों वाले एक बहु विषयक अनुसंधान एवं शिक्षण परिसर के रूप में विकसित हो गया है जिसमें न्यूनतम 300 शिक्षक और 3000 छात्र हों।

विनीत जोशी
अपर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 11th February 2021.

CORRIGENDUM

No. 60-Pres/2021—The following amendment is made in this Secretariat's Notification No. 03-Pres/2020 dated 26.01.2020 published in Part I Section I of the Gazette of India dated 14.03.2020 relating to Jeevan Raksha Padak series of award:—

For

Kumari Pramod Balasaheb Devdhe, Maharashtra

Read

Kumari Divya Somnath Khale, Maharashtra

JAGANNATH SRINIVASAN
Officer on Special Duty

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION & FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 3rd February 2021

No.8-135/2020-PP.II—In partial modification of Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare Notification No.8-97/91-PP.I dated 26.11.1993, as amended from time to time, it is hereby notified for general information that the following entries shall be included by way of addition or replacement under the relevant heads specifying officers, by designation, who are authorized to inspect, fumigate or disinfect and grant phytosanitary certificates in respect of plants and plant materials intended for export to other countries, which require such certificates:—

II. STATES/UTS:

Kerala

- (ii) Assistant Director of Agriculture,
Department of Agriculture,
Thalassery, Kannur
(Kerala)
{Code No. 'S'(KER) 2}

ATISH CHANDRA
Joint Secretary

Note: The original notification was issued by Department of Agriculture & Cooperation vide notification no. 8-97/91-PP.I dated 26.11.1993 and subsequently modified vide notification no. 8-97/91-PP.I dated 25.11.97, notification no. 8-70/98-PP.I dated 30.09.1999, notification no. 8-86/2000-PP.I dated 06.11.2001, notification no. 8-86/2000-PP.I dated 06.05.2002, notification no. 8-86/2000-PP.I dated 30.05.2002, notification no. 8-33/2003-PP.I dated 7.6.2004, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 11.05.05, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 20.06.05, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 8.12.05, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 9.1.06, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 26th December, 2011, notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 30th January, 2013, notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 6th July, 2015, notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 21st June, 2016, notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 12th January, 2017 and notification no. 8-65/2017-PP.II dated 13th April, 2017 and notification No. 8-65/2017-PP.II dated 11th August, 2017 and notification No. 8-65/2017-PP.II dated 14th March, 2018, notification No. 8-65/2017-PP.II dated 10th April, 2018, notification No. 8-65/2017-PP.II dated 10th May, 2019 and notification No. 8-65/2017-PP.II dated 16th July, 2019, notification No. 8-65/2017-PP.II dated 10th December, 2019, notification No. 8-65/2017-PP.II dated 21st February July, 2020 and notification no. 8-135/2020-PP.II dated 13.08.2020.

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 27th January 2021

No. F.11/7/2018-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, a centre to be an off-campus centre of an Institution of Eminence deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 11-9/2019-U.3(A)Pt. dated 14.10.2020, on the advice of

UGC, had declared Birla Institute of Technology and Science, Pilani as an Institution of Eminence Deemed to be University.

3. And whereas, Birla Institute of Technology and Science (Institution of Eminence Deemed to be University), Pilani, Rajasthan submitted an application in offline mode for starting of an Off-Campus Centre at Mumbai Metropolitan Region, Maharashtra on 04.01.2021.

4. And whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee (EEC) constituted for the purpose for examination and advice as per the provisions of the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 and UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) (Amendments) Regulations, 2021. The EEC conducted its appraisal based on the documents submitted by the Institution and made its recommendations to the UGC.

5. And whereas, the recommendations of the EEC were approved by the Chairman, UGC in accordance with the provisions under clause 11.7.4 of the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulation, 2017 inserted vide UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) (Amendments) Regulations, 2021 and the advice on behalf of the Commission was forwarded to the Ministry vide letter no. 1-6/2019 (IoE) dated 18.01.2021.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, taking into account the recommendation of the EEC & advice of the UGC, hereby permit Birla Institute of Technology and Science (Institution of Eminence Deemed to be University), Pilani, Rajasthan for starting of an Off-Campus Centre at Mumbai Metropolitan Region, Maharashtra in the name of BITS School of Management (BITSOM).

7. The declaration as made in Para 6 of this Notification shall be further subject to strict compliance with/fulfilment of the following conditions, by the off-campus centre within a period not exceeding five years, contained in the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 and UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) (Amendments) Regulations, 2021 and any other relevant notification(s), rules, regulations and directions issued by this Ministry, UGC and any other Statutory bodies from time to time, as the case may be:

- (i) Teacher student ratio shall not be more than 1:20 OR shall be as per the requirement of the concerned Statutory Council(s). The teacher student ratio shall be 1:10 at the end of the five years. The faculty for this purpose shall include the regular faculty, adjunct faculty, overseas faculty, visiting faculty, contractual faculty, industry faculty and tenure track faculty, or faculty as otherwise permitted by the Statutory Council(s) concerned. At least sixty percent of the faculty shall be appointed on permanent/regular basis.
- (ii) A minimum of five hundred students on its rolls under regular class room mode with one third PG/Research students.
- (iii) Five PG programmes.
- (iv) Research Programmes.
- (v) Built up area of not less than thirty square metres per student which shall include academic (academic buildings, library, lecture hall, laboratories, etc.), administrative (hostels, faculty residences, health care), common and recreational facilities. Provided that at the time of starting the programme(s), the academic and physical infrastructure at the proposed off-campus centre(s) shall be in accordance with the norms/standards prescribed by the UGC/concerned Statutory Council(s). Such programme shall have the approval of the relevant Statutory Council(s), wherever required.
- (vi) The Institutions of Eminence Deemed to be University shall ensure that the norms and standards of the Off-Campus Centre shall be the same as that maintained in the main campus for similar courses, and the Off-Campus Centre shall also follow similar admission criteria, curriculum, examination system and evaluation system. All the information about the off-campus centre shall be disclosed on the website of the Institution of Eminence Deemed to be University.

- (vii) The Institutions of Eminence Deemed to be University shall be permitted to start an Off-Campus Centre(s) in an interim campus subject to the condition that the permanent campus shall be ready within a reasonable time period not exceeding five years.
- (viii) The Institutions of Eminence Deemed to be University shall ensure that by the end of ten years of the starting of the Off-Campus Centre, the Off-Campus Centre is evolved as a multi-disciplinary research and teaching campus having at least 3 faculties with a minimum of 300 teachers and 3000 students.

VINEET JOSHI
Additional Secretary